

बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान दशा : एक समालोचनात्मक अध्ययन

डॉ. नन्दन कुमारी झा

सारांश- सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्यान्न एवं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएँ सुलभ मूल्य पर उपलब्ध कराना है। बिहार जैसे आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े राज्य में यह प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में बिहार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति, कार्यप्रणाली, चुनौतियों तथा सुधारात्मक प्रयासों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों जैसे सरकारी रिपोर्ट, शोध-पत्र, पत्रिकाएँ, जनगणना आँकड़े तथा नीति आयोग एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की रिपोर्टों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि बिहार में पीडीएस के अंतर्गत लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुँचाने में अनेक सकारात्मक सुधार हुए हैं, जैसे डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, ई-पीओएस मशीनों का उपयोग तथा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का क्रियान्वयन। इसके बावजूद भ्रष्टाचार, अपात्र लाभार्थियों का समावेशन, पात्र परिवारों का बहिष्करण, वितरण में अनियमितता तथा तकनीकी समस्याएँ अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि पारदर्शिता, सामाजिक अकेक्षण, जन-जागरूकता तथा तकनीकी दक्षता को बढ़ाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

मुख्य शब्द (Keywords): सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, बिहार, राशन व्यवस्था, गरीबी, NFSA, डिजिटलीकरण, खाद्यान्न वितरण

1. प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी तथा संसाधनों के असमान वितरण के कारण समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती रही है। इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना की। यह प्रणाली गरीब एवं वंचित वर्गों को नियंत्रित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण सरकारी व्यवस्था है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के समय खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए किया गया था। स्वतंत्रता के बाद इसे एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में विकसित किया गया। समय के साथ इसमें अनेक सुधार किए गए, जिनमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आधार आधारित प्रमाणीकरण तथा डिजिटल राशन कार्ड प्रमुख हैं।

बिहार भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण की समस्या अपेक्षाकृत अधिक है। राज्य की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी आजीविका मुख्यतः कृषि एवं असंगठित श्रम पर आधारित है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबों के लिए जीवन-निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। बिहार सरकार द्वारा हाल के वर्षों में पीडीएस को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राशन कार्डों का डिजिटलीकरण, ई-पीओएस मशीनों का उपयोग, आधार सीडिंग तथा ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली जैसे सुधारों ने व्यवस्था में कुछ हद तक सुधार किया है। इसके बावजूद बिहार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनेक समस्याओं से जूझ रही है। कई स्थानों पर राशन की कालाबाजारी, घटतौली, फर्जी लाभार्थी, वितरण में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ अब भी विद्यमान हैं। अनेक गरीब परिवार आज भी पात्र होने के बावजूद राशन से वंचित हैं। तकनीकी बाधाओं के कारण कई बार लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वर्तमान शोध-पत्र का उद्देश्य बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति का समालोचनात्मक अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत पीडीएस की कार्यप्रणाली, उपलब्धियाँ, समस्याएँ, सरकारी प्रयास तथा सुधार की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

II. अवधारणा एवं स्वरूप

सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा गरीब वर्ग को बाजार मूल्य में वृद्धि के प्रभाव से बचाना है।

पीडीएस के अंतर्गत मुख्यतः गेहूँ, चावल, चीनी एवं केरोसिन जैसी वस्तुओं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जाता है। इस व्यवस्था का संचालन केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त सहयोग से होता है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न की खरीद एवं भंडारण करता है जबकि राज्य सरकारें वितरण व्यवस्था का संचालन करती हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य

- गरीब वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।
- आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना।
- भूख एवं कुपोषण को कम करना।
- सामाजिक एवं आर्थिक समानता को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण एवं शहरी गरीबों को राहत प्रदान करना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रकार

- सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली - इस प्रणाली में सभी नागरिकों को राशन उपलब्ध कराया जाता था। प्रारंभिक वर्षों में भारत में यही व्यवस्था लागू थी।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली - 1997 में सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, जिसके अंतर्गत गरीबों की पहचान कर उन्हें विशेष लाभ प्रदान किया गया।
- अंत्योदय अन्न योजना - यह योजना अत्यंत गरीब परिवारों के लिए प्रारंभ की गई, जिसमें अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 - इस अधिनियम के अंतर्गत देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को खाद्यान्न का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया।

बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास
बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्व अत्यधिक है क्योंकि राज्य की बड़ी आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है।

बिहार सरकार ने समय-समय पर पीडीएस को प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

स्वतंत्रता के बाद बिहार में राशन वितरण प्रणाली मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी, किंतु धीरे-धीरे इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू होने के बाद गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें बीपीएल कार्ड प्रदान किए गए। इसके पश्चात अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने इस प्रणाली को अधिक व्यापक बनाया।

राज्य सरकार ने डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। राशन कार्डों का ऑनलाइन पंजीकरण, आधार से लिंकिंग तथा ई-पीओएस मशीनों के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को भी लाभ मिलने लगा।

बिहार में पीडीएस के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसके बावजूद राज्य के कई जिलों में वितरण व्यवस्था की गुणवत्ता समान नहीं है। कुछ जिलों में व्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर है जबकि कुछ क्षेत्रों में शिकायतें अधिक हैं।

साहित्य समीक्षा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अनेक विद्वानों, संस्थानों एवं सरकारी एजेंसियों द्वारा अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों से पीडीएस की उपलब्धियों, समस्याओं तथा सुधारों का व्यापक विश्लेषण प्राप्त होता है।

अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा एवं अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर बल देते हुए कहा कि केवल खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका समान वितरण भी आवश्यक है। जिन ड्रेज एवं अमर्त्य सेन के अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि पीडीएस गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है।

रीतिका खेड़ा ने अपने अध्ययनों में बताया कि जिन राज्यों में पीडीएस का बेहतर क्रियान्वयन हुआ है, वहाँ भूख एवं खाद्य असुरक्षा में कमी आई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ सकती है, परंतु तकनीकी समस्याएँ गरीबों के लिए बाधा भी बन सकती हैं।

बिहार पर किए गए कई अध्ययनों में पाया गया कि राशन वितरण में अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा फर्जी राशन कार्ड प्रमुख समस्याएँ हैं। कुछ शोधों में यह भी बताया गया कि लाभार्थियों को पूर्ण मात्रा में राशन नहीं मिलता।

विश्व बैंक तथा नीति आयोग की रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया है कि आधार आधारित प्रमाणीकरण एवं ई-पीओएस मशीनों से पीडीएस में रिसाव कम हुआ है। हालांकि इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में तकनीकी समस्याएँ अभी भी चुनौती बनी हुई हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद कई अध्ययनों में यह निष्कर्ष निकला कि खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी है, किंतु पात्र लाभार्थियों की सही पहचान अभी भी एक समस्या है।

उपरोक्त साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम है, किंतु इसके सफल संचालन के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही एवं तकनीकी दक्षता आवश्यक है। बिहार में पीडीएस पर और अधिक क्षेत्रीय एवं अनुभवजन्य अध्ययन की आवश्यकता है।

शोध समस्या

बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है, किंतु इसके संचालन में अनेक व्यावहारिक समस्याएँ सामने आती हैं। राज्य सरकार द्वारा डिजिटलीकरण एवं पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद कई लाभार्थियों को समय पर एवं पूर्ण मात्रा में राशन प्राप्त नहीं हो पाता।

मुख्य शोध समस्या यह है कि क्या बिहार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली वास्तव में अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रही है? यदि नहीं, तो इसके प्रमुख अवरोधक तत्व कौन-कौन से हैं? शोध समस्या के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्न महत्वपूर्ण हैं—

- क्या लाभार्थियों को नियमित रूप से राशन प्राप्त हो रहा है?
- क्या वितरण प्रक्रिया पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार-मुक्त है?
- क्या डिजिटलीकरण से पीडीएस की कार्यक्षमता में सुधार हुआ है?
- क्या सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है?

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पीडीएस की स्थिति में क्या अंतर है?

शोध के उद्देश्य

- बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
- पीडीएस की कार्यप्रणाली एवं प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
- वितरण व्यवस्था में मौजूद समस्याओं एवं चुनौतियों की पहचान करना।
- डिजिटलीकरण एवं सरकारी सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

- बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- डिजिटलीकरण एवं आधार आधारित प्रमाणीकरण से पीडीएस में पारदर्शिता बढ़ी है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस संबंधी समस्याएँ शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक हैं।
- भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक लापरवाही पीडीएस की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं।
- लाभार्थियों की जागरूकता का स्तर पीडीएस के सफल संचालन को प्रभावित करता है।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। विभिन्न सरकारी रिपोर्ट, शोध-पत्र, पुस्तकें, समाचार पत्र, नीति आयोग की रिपोर्टें तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

अनुसंधान की प्रकृति

प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों प्रकार की अनुसंधान प्रवृत्तियों पर आधारित है। अध्ययन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति, कार्यप्रणाली, समस्याओं तथा प्रभावों का विश्लेषण वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से किया गया है। गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत लाभार्थियों के अनुभवों, समस्याओं तथा प्रशासनिक

व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है, जबकि मात्रात्मक पद्धति के माध्यम से उपलब्ध आँकड़ों, सरकारी रिपोर्टों तथा सांख्यिकीय तथ्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह अध्ययन बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वास्तविक स्थिति को व्यापक रूप से समझने का प्रयास करता है।

आँकड़ों के स्रोत

प्रस्तुत शोध के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों से सामग्री संकलित की गई है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े लाभार्थियों से साक्षात्कार, प्रश्नावली तथा क्षेत्रीय अवलोकन को शामिल किया गया है। लाभार्थियों से प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से राशन वितरण, अनियमितताओं, तकनीकी समस्याओं तथा सरकारी योजनाओं के प्रति उनकी संतुष्टि का अध्ययन किया गया। प्रश्नावली के माध्यम से व्यवस्थित रूप में जानकारी प्राप्त की गई, जबकि क्षेत्रीय अवलोकन द्वारा उचित मूल्य की दुकानों की कार्यप्रणाली एवं वितरण व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया।

द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, शोध-पत्रों, जर्नलों, जनगणना आँकड़ों, नीति आयोग एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित दस्तावेजों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों, सरकारी वेबसाइटों तथा अन्य प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का भी अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है। इन सभी स्रोतों के आधार पर बिहार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन की सीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत बिहार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया गया है, तथापि अनुसंधान कार्य के दौरान कुछ सीमाएँ भी सामने आईं। यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों एवं उपलब्ध साहित्य पर आधारित है। यद्यपि विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, शोध-पत्रों तथा आधिकारिक दस्तावेजों का उपयोग किया गया है, फिर भी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अध्ययन की तुलना में द्वितीयक आँकड़ों की अपनी सीमाएँ होती हैं।

अध्ययन के दौरान बिहार के सभी जिलों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं हो सका। राज्य के कुछ चयनित क्षेत्रों एवं उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ही निष्कर्ष

प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए विभिन्न जिलों की परिस्थितियों में कुछ भिन्नताएँ संभव हैं।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित आँकड़े एवं सरकारी नीतियाँ समय-समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। डिजिटलीकरण, लाभार्थियों की संख्या, वितरण व्यवस्था तथा सरकारी योजनाओं में निरंतर संशोधन होने के कारण कुछ आँकड़ों में भविष्य में परिवर्तन संभव है। अतः प्रस्तुत अध्ययन को एक निश्चित समयावधि के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाखों गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा का मुख्य साधन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य की बड़ी आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रति माह गेहूँ एवं चावल वितरित किया जाता है। पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय परिवारों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न दिया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान पीडीएस ने गरीबों को राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डिजिटलीकरण एवं तकनीकी सुधार

बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अनेक तकनीकी सुधार लागू किए हैं। पूर्व में पीडीएस व्यवस्था में फर्जी राशन कार्ड, खाद्यान्न की कालाबाजारी, वितरण में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ व्यापक रूप से देखने को मिलती थीं। इन समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाया है।

सबसे महत्वपूर्ण सुधार राशन कार्डों का डिजिटलीकरण है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों का पूरा विवरण ऑनलाइन डेटाबेस में दर्ज किया गया, जिससे फर्जी एवं डुप्लीकेट राशन कार्डों की पहचान संभव हुई। इससे पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुँचाने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनी है।

सरकार द्वारा राशन कार्डों को आधार संख्या से जोड़ने की प्रक्रिया भी लागू की गई है। आधार सीडिंग के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जिससे अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ लेने से रोका

जा सके। इसके अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानों पर ई-पीओएस मशीनों का उपयोग प्रारंभ किया गया है। इन मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही खाद्यान्न वितरण किया जाता है, जिससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है।

बिहार सरकार ने ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित की है, जिसके माध्यम से लाभार्थी अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इससे शिकायतों के त्वरित समाधान की संभावना बढ़ी है। इसी प्रकार एसएमएस आधारित सूचना प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थियों को राशन उपलब्धता एवं वितरण से संबंधित सूचनाएँ मोबाइल संदेशों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना के लागू होने से प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लाभार्थियों को देश के किसी भी हिस्से से राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हुई है। यह योजना विशेष रूप से बिहार जैसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं।

इन सभी तकनीकी एवं डिजिटल सुधारों के परिणामस्वरूप फर्जी लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है तथा वितरण प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनी है। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, तकनीकी त्रुटियों एवं बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसी समस्याएँ अब भी चुनौती बनी हुई हैं।

लाभार्थियों की स्थिति

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस पर निर्भरता अधिक है। गरीब परिवारों के लिए राशन प्रणाली जीवन-निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन है। कई परिवारों के लिए यह योजना भूख एवं कुपोषण से सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रशासनिक व्यवस्था - पीडीएस का संचालन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। जिला एवं प्रखंड स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उचित मूल्य दुकानदार लाभार्थियों को राशन वितरण करते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख समस्याएँ

हालाँकि बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी इसके संचालन में कई गंभीर समस्याएँ मौजूद हैं।

- भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी - पीडीएस की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। कई स्थानों पर राशन दुकानदार खाद्यान्न की कालाबाजारी करते हैं। लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जाता है।
- फर्जी एवं अपात्र लाभार्थी - कुछ क्षेत्रों में ऐसे लोग भी राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो वास्तव में पात्र नहीं हैं, जबकि कई गरीब परिवार सूची से बाहर हैं।
- तकनीकी समस्याएँ - ई-पीओएस मशीनों एवं बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में नेटवर्क संबंधी समस्याएँ आती हैं। वृद्ध एवं श्रमिक वर्ग के लोगों के अंगूठे के निशान मिलान में कठिनाई होती है।
- वितरण में अनियमितता - कई बार राशन समय पर नहीं पहुँचता। कुछ दुकानदार निर्धारित तिथि पर दुकान नहीं खोलते।
- जागरूकता की कमी - अनेक लाभार्थियों को अपने अधिकारों एवं शिकायत निवारण प्रणाली की जानकारी नहीं होती।
- निगरानी की कमजोरी - प्रभावी निरीक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण के अभाव में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
- बिहार सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक प्रयास
- बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
- राशन कार्डों का डिजिटलीकरण - डिजिटल डेटाबेस तैयार किए जाने से फर्जी राशन कार्डों की पहचान संभव हुई है।
- आधार लिंकिंग - आधार से राशन कार्ड जोड़ने से लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित हुई है।
- ई-पीओएस मशीनें - उचित मूल्य की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के उपयोग से वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है।
- वन नेशन वन राशन कार्ड योजना - इस योजना से प्रवासी मजदूर देश के किसी भी हिस्से से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
- शिकायत निवारण प्रणाली - ऑनलाइन पोर्टल एवं हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है।
- सामाजिक अंकेक्षण - कुछ जिलों में सामाजिक अंकेक्षण एवं सामुदायिक निगरानी की व्यवस्था लागू की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

- खाद्य सुरक्षा में योगदान - पीडीएस गरीब परिवारों को न्यूनतम खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। इससे भूख एवं कुपोषण को कम करने में सहायता मिलती है।
- गरीबी उन्मूलन में सहायता - रियायती दरों पर खाद्यान्न मिलने से गरीब परिवारों के आर्थिक बोझ में कमी आती है।
- सामाजिक समानता - पीडीएस सामाजिक न्याय एवं समानता को बढ़ावा देता है। यह कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- महिला सशक्तिकरण - कई राज्यों की तरह बिहार में भी राशन कार्ड महिलाओं के नाम पर जारी किए जाने लगे हैं, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव - ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बनाए रखने में सहायक है।

कोविड महामारी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली
कोविड महामारी के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। लॉकडाउन के कारण लाखों गरीब एवं प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अतिरिक्त मुफ्त राशन उपलब्ध कराया।

बिहार में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस लौटे। पीडीएस ने उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामारी ने यह स्पष्ट किया कि संकट की स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाज के कमजोर वर्गों के लिए जीवनरेखा के समान है।

हालाँकि महामारी के दौरान भी कई समस्याएँ सामने आईं, जैसे राशन कार्ड का अभाव, तकनीकी त्रुटियाँ तथा वितरण में अनियमितता। इसके बावजूद पीडीएस ने व्यापक स्तर पर राहत प्रदान की।

बिहार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली : एक समालोचनात्मक विश्लेषण
बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

डिजिटलीकरण एवं तकनीकी सुधारों से पारदर्शिता बढ़ी है और फर्जी लाभार्थियों की पहचान संभव हुई है।

फिर भी यह व्यवस्था अभी पूर्णतः प्रभावी नहीं कही जा सकती। कई ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक लापरवाही अब भी बड़ी समस्या है। तकनीकी सुधारों के बावजूद डिजिटल विभाजन एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या गरीबों को प्रभावित करती है।

पीडीएस की सफलता काफी हद तक स्थानीय प्रशासन, उचित मूल्य दुकानदारों तथा लाभार्थियों की जागरूकता पर निर्भर करती है। जहाँ प्रशासन सक्रिय है वहाँ व्यवस्था बेहतर दिखाई देती है, जबकि कमजोर निगरानी वाले क्षेत्रों में शिकायतें अधिक हैं। इसलिए केवल तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक जवाबदेही एवं पारदर्शी प्रशासन भी आवश्यक है।

सुधार हेतु सुझाव

- उचित मूल्य दुकानों की नियमित निगरानी की जाए।
- सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाया जाए।
- लाभार्थियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए।
- तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाए।
- पात्र लाभार्थियों की नियमित समीक्षा की जाए।
- राशन वितरण प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जाए।
- भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों एवं दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष निगरानी तंत्र विकसित किया जाए।
- डेटा प्रबंधन एवं पारदर्शिता को और मजबूत किया जाए।

उपसंहार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ बड़ी आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है, यह प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बिहार में पीडीएस ने गरीबों को राहत प्रदान करने, भूख एवं कुपोषण को कम करने तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध

कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिजिटलीकरण, आधार आधारित प्रमाणीकरण तथा वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाओं ने प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने में सहायता की है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार, तकनीकी समस्याएँ, पात्र लाभार्थियों की पहचान में त्रुटियाँ तथा वितरण में अनियमितता जैसी चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, प्रशासन एवं समाज मिलकर पीडीएस को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाएँ। यदि उचित निगरानी, सामाजिक जवाबदेही एवं तकनीकी दक्षता सुनिश्चित की जाए तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिहार में खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय को और अधिक मजबूत बना सकती है।

संदर्भ सूची

- [1] सेन, अमर्त्य. *गरीबी और अकाल*. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- [2] ड्रेज, जीन एवं सेन, अमर्त्य. *भारत: विकास और सहभागिता*.
- [3] खेड़ा, रीतिका. “सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा”, आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक.
- [4] भारत सरकार. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013.
- [5] नीति आयोग. भारत में खाद्य सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट.
- [6] बिहार सरकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट.
- [7] भारतीय खाद्य निगम (FCI) रिपोर्ट.
- [8] Planning Commission of India. Evaluation Study on TPDS.
- [9] World Bank Report on Food Security in India.
- [10] Dreze, Jean and Khera, Reetika. “Recent Reforms in the Public Distribution System.”
- [11] Economic Survey of Bihar.
- [12] Census of India Reports.
- [13] National Sample Survey Office (NSSO) Reports.
- [14] Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
- [15] Kumar, Ashok. “Public Distribution System in Bihar.”
- [16] Singh, R.P. “Food Security and PDS in Rural India.”
- [17] Sharma, S.K. “Targeted Public Distribution System: Issues and Challenges.”
- [18] Economic and Political Weekly, various issues.
- [19] Bihar Development Report.
- [20] UNDP Report on Poverty and Hunger.

- [21] FAO Report on Food Security.
- [22] Ministry of Rural Development Reports.
- [23] Reserve Bank of India Handbook of Statistics.
- [24] Government of Bihar Statistical Handbook.
- [25] Various research articles on PDS and Food Security.